

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2121 / 2010 / बांसवाड़ा.

मैसर्स बांसवाड़ा सिन्टैक्स लिमिटेड,  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, दोहड़ रोड़, बांसवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर, बांसवाड़ा
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थीगण.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08.03.2018

निर्णय

1. यह अपील, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 9/वेत/09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.07.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेत अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बांसवाड़ा (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेत अधिनियम के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को आंशिक स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोलीसी, 2003 (RIPS) के तहत सब्सिडी लेने का लाभ प्राप्त था उसी अनुसार वर्ष 2006-07 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये थे, परन्तु सब्सिडी राशि का भुगतान विलम्ब से किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में सब्सिडी राशि का भुगतान कर देयता के विरुद्ध मानकर इस के विलम्ब अनुसार ब्याज का आरोपण कर दिया।

उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का यह कथन था कि उन्हें रिप्स योजना, 2003 में जो सब्सिडी राशि विभाग द्वारा दी जानी थी वह विलम्ब से प्राप्त हुई थी। अतः अपीलार्थी को ब्याज दिया जावे तथा कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी पर जो ब्याज आरोपित किया है वो हटाया जावे क्योंकि अपीलार्थी का देय कर किसी भी त्रैमास में विलम्ब से जमा नहीं हुआ था बल्कि हर समय अधिक आई.टी.

लगातार.....2



सी भी उपलब्ध थी। अपीलारी अधिकारी ने अपीलारी को सब्सिडी विलम्ब से जारी करने का तर्क मानते हुये उस पर स्कीम अनुसार ब्याज देने का आदेश दे दिया परन्तु अपीलारी का देय कर विलम्ब से जमा नहीं होने के तथ्य के बावजूद भी आरोपित किये गये ब्याज को अपास्त नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर ब्याज का आरोपण किया गया है कि उन्हें सब्सिडी की जो राशि प्राप्त हुई थी, वह राजकोष में देरी से जमा हुई है अतः ब्याज आरोपणीय है जबकि अपीलारी का देय कर जमा होने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था, बल्कि अपीलारी के हक में अधिक आई.टी.सी उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में ब्याज का आरोपण किया जाना त्रुटिपूर्ण था जो स्वयं कर निर्धारण आदेश से ही परिलक्षित है, जिसमें रुपये 58,23,489/- की अधिक आई.टी.सी आगे के वर्ष में अग्रेषित की हुई है। यह भी कथन किया कि वर्ष 2006-07 में रुपये 1,23,91,944/- की आई.टी.सी उपलब्ध थी जबकि वैट आउटपुट की राशि 81,70,476/- थी। इस तरह जमा योग्य राशि शेष ही नहीं थी।


5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उक्त तथ्यों से सहमति व्यक्त की।

6. प्रकरण में कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक त्रैमास में जो भी कर जमा कराने का दायित्व था उससे अधिक आई.टी.सी अपीलारी के पास उपलब्ध थी ऐसी स्थिति में टैक्स कम जमा होने का कोई तथ्य ही नहीं था तब ब्याज का आरोपण करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अधिनियम, 2003 की धारा 55 के तहत ब्याज की गणना तब की जाती है जब किसी देय कर की राशि कम या विलम्ब से जमा करवाई गई हो जबकि इस प्रकरण में अपीलारी के देय कर से अधिक राशि की आई.टी.सी उपलब्ध होने से कोई कर राशि जमा कराने का दायित्व नहीं था एवं इस तथ्य का ज्ञान कर निर्धारण अधिकारी को भी था इसलिये कर निर्धारण आदेश के पृष्ठ संख्या 5 के अन्तिम पैरा के पूर्व निम्न उल्लेख किया है कि:-  
“चूंकि व्यवसायी का हर समय आई.टी.सी क्लेम बैलेंस रहा है अतः विलम्ब से जमा कर का कोई ब्याज देय नहीं है” ऐसी स्थिति में ब्याज रुपये 3,51,119/- का आरोपण त्रुटिपूर्ण होने से इसे अपास्त किया जाता है।

6. परिणामस्वरूप, अपीलारी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य

  
(के. एल. जैन)  
सदस्य